N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0127 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 24/05/2025 21:46 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	11

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 22/05/2025 **Date To (दिनांक तक):** 23/05/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 21:50 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/05/2025 **Time (समय):** 19:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 24/05/2025 21:46:36 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 35 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** PRABHU JI NAGAR, GANGAPUR CITY, JILA SAWAI MADHOPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** GIRRAJ PRASAD MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** LADDULAL MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1970 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO. 9, NASIYA COLONY, GANGAPUR CITY, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO. 9, NASIYA COLONY, GANGAPUR CITY, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BHAWANI SINGH MEENA		पिता:HARIMAN MEENA	1. PILODA,GANGAPUR CITY,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 3,00,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली। विषयः- भ्रष्ट पीडब्ल्यूडी एक्सईएन को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मैं गिर्राज प्रसाद मीणा पुत्र श्री लडडूलाल मीणा जाति मीणा उम्र 55 साल निवासी वार्ड नम्बर 9, नसिंया कोलोनी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर का रहने वाला हू। मेरी सार्वजनिक निर्माण विभाग में संतोष कन्ट्रक्शन कम्पनी गंगापुर सिटी के नाम से रजिस्टर्ड फर्म है। जिसका मैं प्रोपराईटर एवं सी ग्रेड का रजिस्टर्ड ठेकेदार हूं। मेरी फर्म द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग हिण्डौन सिटी में वित्तीय वर्ष 2024-25 में हिण्डौन सिटी प्रथम व द्वितीय में रोड मेन्टीनेन्स (पेच रिपेयरिंग) का कार्य तीन टेंडर प्राप्त कर राशि क्रमश टेंडर एमाउंट जिसमें एक वर्क आर्डर 25 लाख रुपये का कार्य टेण्डर प्राप्त कर राशि क्रमश टेण्डर एमाउन्ट जिसमें एक वर्क ऑर्डर 14 लाख रुपये का तथा तीसरा 4 लाख 19 हजार रुपये कुल 43.19 लाख का कार्य एईएन व जेईएन की निगरानी में किया गया। जिसमें से 10 लाख रुपये का पीडब्ल्यूडी द्वारा बिल बनाया जाकर 8 लाख 35 हजार रुपये का भुगतान मुझे जरिये एकाउंट कर दिया गया है, अब एक्सईएन शेष राशि का भी स्वंय द्वारा बिल बनवाकर भुगतान कराने की कहकर भुगतान की गई राशि 08.35 लाख का कमीशन के रूप में 3 लाख रुपये बतौर रिश्वत मांग रहा है, इसमें जेईएन व एईएन भी शामिल है। एक्सईएन 3 लाख रुपये लेकर मुझे बार-बार कॉल कर अपने घर पर बुला रहा है। मैं एक्सईएन को 3 लाख रुपये नहीं देकर रिश्वत लेने के जुर्म में पकडवाना चाहता हूं। मेरी एक्सईएन से कोई दुश्मनी नही है और ना ही रुपये पैसे का कोई लेन देन बकाया है। हस्ताक्षर प्रार्थी- गिर्राज प्रसाद मीणा मो. नं. [redacted] दिनांक-22.05.025 हस्ता. जगदीश भारद्वाज पु.नि. एसीबी करौली दिनांक 22.05.2025, ह0 स्वतंत्र गवाह-ओमप्रकाश जाटव व विनोद कुमार कश्यप दिनांक 22.05.2025, कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि ब्यूरो के टोल-फ्री नम्बर-1064 पर शिकायतकर्ता परिवादी गिर्राज प्रसाद मीणा पुत्र श्री लडडूलाल मीणा जाति मीणा उम्र 55 साल निवासी वार्ड नम्बर 9, नसिंया कोलोनी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर, प्रोपराईटर फर्म संतोष कन्स्ट्रक्शन कम्पनी गंगापुर सिटी ने मन पुलिस निरीक्षक से सम्पर्क उपरान्त दिनांक 22.05.2025 को 01.00 पी.एम. पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी करौली पर मेरे सामने हाजिर होकर उपर्युक्त लिखित रिपोर्ट श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली के पदनाम से मुझ पुलिस निरीक्षक को पेश की। चूंकि ब्यूरो ईकाई करौली पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद रिक्त होने तथा चार्ज मन पुलिस निरीक्षक के पास होने से परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा बाद अवलोकन कार्यवाही करते हुये परिवादी से लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यों बाबत पूछताछ की तो परिवादी ने स्वयं का पढा लिखा होकर पीडब्ल्यूडी विभाग में रजिस्टर्ड ठेकेदार होना तथा रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिखित व हस्ताक्षरित होना एवं अंकित तथ्य सही-सही होना बताते हुये बताया कि मेरी या मेरे किसी परिवार के सदस्य की एक्सईएन से कोई दुश्मनी नही है और ना ही रुपये पैसे का कोई लेन देन बकाया है, एक्सईएन आज गंगापुर सिटी स्थित अपने घर मुझे रूपये लेकर बुला रहा है। मै यह कार्यवाही किसी राजनैतिक कारणों से या किसी के बहकावे में आकर नहीं बल्की स्वयं की स्वेच्छा अनुसार नाजायज तौर पर राजकार्य को करने में रिश्वत मांगे जाने पर करा रहा हूं। परिवादी ने मांगने पर ऐड्रेस प्रूफ बाबत अपने स्वयं के आधार कार्ड की एवं फर्म रजिस्टर्ड, टेण्डर कार्य-आदेश आदि की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जिन्हें शामिल रनिंग नोट किया गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं की गई दरियाफ्त आदि से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने से गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से सत्यापन हेतु परिवादी को कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मेरी एवं मेरे लडके की एक्सईएन से कई बार वार्ता हो चुकी है वह बार-बार बात नहीं करेगा तथा आज शीघ्र ही पैसे लेगा तथा पैसे भी वह मेरे लडके के सामने लेगा तथा उसके द्वारा मांगे गये पैसे 3 लाख रूपये देते समय मांग एवं लेन-देन की सारी वार्ता हो जायेंगी, जिन्हें हम रिकार्ड कर लेंगे, जिस बाबत उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त किये गये तत्पश्चात कार्यवाही हेतु पूर्व से पाबन्द शुदा गवाह श्री ओमप्रकाश जाटव कनिष्ठ सहायक एवं श्री विनोद कुमार कश्यप कनिष्ठ सहायक पीएचईडी करौली को जरिये दूरभाष तलब कर बुलाया गया और उनसे नाम पते पूछकर उनका परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया और परिवादी की लिखित रिपोर्ट दिनांक 22.05.2025 को दिखाया एवं पढवाया गया तो गवाहान ने रिपोर्ट को पढकर एवं परिवादी से वार्ता कर रिपोर्ट पर अपने अपने हस्ताक्षर किये व दिनांक अंकित की गई, तत्पश्चात दोनो गवाहों से कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह साथ रहने की मौखिक सहमति प्राप्त की गई। इसके बाद समय 02.00 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान सामने मन पुलिस

निरीक्षक द्वारा परिवादी गिर्राज प्रसाद मीणा को संदिग्ध आरोपी एक्सईएन को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी ने अपने पास से संदिग्ध आरोपी को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के नोटो की 06 गड्डी प्रत्येक गड्डी में 100-100 नोट कुल 600 नोट कुल राशि 3,00000 रूपये (भारतीय चलन मुद्रा के) निकालकर पेश किये, जिनके नम्बरों का विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया। उक्त रिश्वती राशि संदिग्ध आरोपी एक्सईएन को परिवादी के पेच रिपेयरिंग कार्यो के बिलों को पास कर भुगतान करने के बदले में रिश्वत के रूप में दी जानी है, उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 600 नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने हेतु श्रीमती ममता शर्मा महिला कानि0 273 को कार्यालय कक्ष में बुलाया जाकर कार्यालय की अलमारी के अन्दर से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर मंगाया जाकर उक्त महिला कानि0 से एक साफ अखबार टेबिल पर बिछवाकर उस अखबार के उपर फिनोफ्थलीन पाऊडर निकलवाकर सभी नोटो पर भली-भांति लगवाया गया, तत्पश्चात परिवादी की जामा तलामी स्वतंत्र गवाह श्री ओमप्रकाश जाटव से लिवाई गई जिसमें परिवादी के पास बदन पर पहने हुये कपडों व मोबाईल फोन, कार की चाबी, एक श्री कैला देवी मंदिर ट्रस्ट भेट प्रसाद लिखी हुआ कैरी बैग बरंग भगवा, के अलावा कोई वस्तु नहीं छोडी गई। इसके बाद श्रीमती ममता शर्मा महिला कानि0 273 से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 600 नोटों की 06 गड्डियों (प्रत्येक गडडी में 100-100 नोट) को परिवादी के पास मौजूद श्री कैला देवी मंदिर ट्रस्ट भेट प्रसाद लिखा हुआ कैरी बैग बरंग भगवा के अन्दर रखवाकर उक्त केरी बैग पर भी कुछ मात्रा में फिनोफथलीन पाउडर श्रीमती ममता शर्मा महिला कानि0 से लगवाकर परिवादी को सुपुर्द किये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब वह इन पाऊडरयुक्त नोटो को अनावश्यक रूप से बार-बार हाथ नही लगावे और संदिग्ध आरोपी के मांगने पर ही पाउडर युक्त राशि कैरी बैग से निकालकर अथवा मौका स्थिति अनुसार कैरी बैग सहित राशि उसे देवे तथा संदिग्ध आरोपी द्वारा उक्त रिश्वती को प्राप्त करके कहां पर रखा जाता है, इसका पूरा-पूरा ध्यान रखे और रिश्वत में उक्त राशि को देने से पहले या बाद में संदिग्ध आरोपी से हाथ नहीं मिलावे तथा अभिवादन की जरूरत पडे तो दूर से हाथ जोडकर करे तथा कोई बहाना बनाकर बाहर आकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर अथवा अपनी कार की पार्किंग लाईट जलाकर या मोबाईल फोन से मिसकॉल अथवा मैसेज कर मुझे या ट्रेप पार्टी के सदस्यों को ईशारा करे साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहो को भी हिदायत दी गई कि वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादी व संदिग्ध आरोपी के बीच में होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद श्री समय सिंह हैड कानि 45 से एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय के आरओ से साफ पानी भरवाकर मंगवाया और श्री सुमेर सिंह मुख्य आरक्षक से ट्रेप बोक्स मंगवाकर उसमें से सोडियम कार्बोनेट पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर गवाह श्री ओमप्रकाश जाटव से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर उक्त पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, साफ सफेद ही रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाली महिला कानि श्रीमती ममता शर्मा के हाथों की अंगुलियों व अंगुठें को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने देखकर गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतत्र गवाहो को नोटो पर लगाये गये फिनोफ्थलीन व गिलास में डाले गये सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफथलीन पाऊडर के डिब्बा को ढक्कन बंद करवाकर श्रीमती ममता शर्मा महिला कानि से वापस कार्यालय की आलमारी में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बा को ट्रेप बोक्स में सुमेर सिंह मुख्य आरक्षक के मार्फत उसके हाथ साबुन व पानी से साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्रीमती ममता शर्मा महिला कानि से गिलास के धोवन को बाहर फिकवाया जाकर उक्त डिस्पोजल गिलास को एवं काम में लिये गये अखबार को आग मे जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों को साबुन व साफ पानी मे साफ करवाया गया, ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों-कांच की खाली शीषीयां मय ढक्कन, प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों, चम्मच आदि को सुमेर सिंह मुख्य आरक्षक से साबुन व साफ पानी मे साफ करवाकर वापस ट्रेप बोक्स में रखवाया गया, तथा ट्रेप बौक्स में खाली नई कपडे की थैलिया, सील चपडी, मोमबत्ती, सुई धागा, नमूना सील पीतल नम्बर 33 एवं नये खाली पैन्ड्राईव कवरों सहित रखवाये गये। इसके बाद दोनो गवाहान, परिवादी एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये तथा मन पुलिस निरीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन व साफ पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोडकर दोनों गवाहान तथा ट्रेप पार्टी सदस्यों व मन पुलिस निरीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलासी लिवाई गई जिसमें दोनो स्वतंत्र गवाहो के पास मोबाईल फोन तथा मन पुलिस निरीक्षक एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी को रिश्वत लेन-देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये वाईस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड सेंडिस्क 32 जीबी लगाकर तथा उनके किसी भी फोल्डर में पूर्व से कोई आवाज रिकार्ड आदि नहीं होना सुनिश्चित कर चालू व बंद करना समझाकर परिवादी को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी गई। इस

कार्यवाही की फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गय इसके बाद समय करीब 05.56 पीएम पर परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि हम जब तक हिण्डौन सिटी पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचेंगे तब तक एक्सईएन हिण्डौन सिटी से अपने घर गंगापुर सिटी निकल जायेगा तथा वह गंगापुर सिटी अपने घर मिलेगा, जिस पर परिवादी को एक्सईएन की उपस्थिति व लोकेशन जानने के लिये कहा जाने पर परिवादी ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी एक्सईएन से उसके मोबाईल नम्बर [redacted] को मिलाकर अपने फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ता की तो उसके द्वारा परिवादी को उसके लडके अशोक से वार्ता करने की कहा और फोन काट दिया उक्त वार्ता को परिवादी के सुपुर्द वॉईस रिकार्डर में डले मैमोरी कार्ड में रिकार्ड करवाया गया तत्पश्चात समय करीब 06.00 पीएम पर स्वयं आरोपी एक्सईएन ने अपने उपरोक्त फोन नम्बर से परिवादी को उसके उपरोक्त मोबाईल नम्बर पर फोन कर कहा कि मैडम गेट पर ही खडी है , परिवादी ने कहा पूरे कर दें तीन ही कि कम है तो आरोपी ने कहा कि नहीं नहीं पूरे पूरे पूरे, उक्त वार्ता को भी परिवादी फोन का स्पीकर ऑन कर वॉईस रिकार्डर में डले मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करवाया गया। इसके बाद समय करीब 06.10 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय स्टाफ को अपने कक्ष में बुलाकर सभी के हाथों को साबुन व पानी से साफ करवाया जाकर एवं परिवादी को बताये गये ईशारे से अवगत कराया जाकर एवं सभी स्टाफ की जामा तलाशी लिवाई जाने के बाद परिवादी को उसके द्वारा लाई हुई स्वयं की वैनू कार नम्बर आरजे 25 सीबी 1130 से एसीबी स्टाफ सदस्यों क्रमश श्री समय सिंह हैड कानि 45, श्री श्याम सिंह कानि0 599, श्री विष्णु सिंह कानि 135, श्री राकेश सिह कानि 268 के हमराह वाहन का चालक स्वयं परिवादी बनकर आगे आगे आरोपी द्वारा बताये गये स्थान उसके गंगापुर सिटी स्थित आवास के लिये रवाना किया गया तथा उसके पीछे-पीछे मन पुलिस निरीक्षक जगदीश भारद्वाज मय स्वतत्र गवाह श्री ओमप्रकाश जाटव व श्री वीरेन्द्र कुमार कश्यप एवं स्टाफ सदस्य श्री अजय कुमार एएसआई, श्री सुमेर सिंह हैड कानि 70, श्री केशवदेव शर्मा कानि 600 के मय ट्रेप वोक्स एवं लेपटोप मय प्रिन्टर, सरकारी कैमरा आदि सामग्री के लेकर जरिये सरकारी वाहन बोलेरो गाडी मय चालक बृजेश कुमार मीणा के एसीबी कार्यालय करौली से गंगापुर सिटी के लिये रवाना हुआ, कार्यालय में श्रीमती ममता शर्मा महिला कानि 273 को बाद हिदायत छोडा गया। मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान जाप्ता के रवाना शुदा जरिये सरकारी वाहन मय चालक के ट्रेप बौक्स आदि सामग्री के लेकर समय 06.35 पीएम पर पुलिस थाना कुडगांव के सामने पहुंचा जहां थाने के बाहर रोड पर पूर्व से पाबन्द शुदा उपस्थित श्रीमती बबली कुमारी महिला कानि नं 450 को हमराह साथ लेते हुये वहां से समय करीब 06.40 पीएम पर रवाना होकर समय करीब 06.50 पीएम पर पर गंगापुर सिटी से पहले रोड वाईसपास के पास पहुंचा जहां पर परिवादी मय एसीबी जाप्ता के पूर्व से रवाना शुदा रोड के बांयी साईड में अपने वाहन को खडा कर खडा मिला उसके वाहन के पास मन पुलिस निरीक्षक द्वारा सरकारी वाहन को खडा करवाया गया जहां पर परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि अभी अभी आरोपी ने मेरे मोबाईल पर कॉल किया था जो मैने वाहन चलाने से नहीं उठाया है जिस पर परिवादी को आरोपी से मोबाईल पर वार्ता करने को कहा तो परिवादी ने अपने फोन नम्बर [redacted] से आरोपी को उसके मोबाईल नम्बर-[redacted] पर फोन मिलाकर अपने फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ता की तो आरोपी ने परिवादी को पैसे अपनी मैडम(पत्नी) को घर गंगापुर सिटी पर देकर आने को कहा और फोन काट दिया, उक्त वार्ता को वॉईस रिकार्डर में डले मैमोरी कार्ड में रिकार्ड करवाया गया, तत्पश्चात समय करीब 07.00 पीएम पर परिवादी को स्वयं की कार से पूर्व से उसकी गाडी में साथ आये हुये एसीबी स्टाफ सहित रवाना किया गया तथा उसके पीछे-पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान व स्टाफ के ट्रेप बौक्स आदि सामग्री सहित जरिये सरकारी वाहन मय चालक के लेकर रवाना हुआ, और समय 07.05 पीएम पर गंगापुर सिटी मे वाईपास होता हुआ रिद्दी सिद्दी हॉस्पीटल के पास चौराहे पर पहुंचा एवं उससे आगे वाईपास पर चलकर कुछ दूरी पर परिवादी अपने वाहन सहित मय एसीबी जाप्ता के खडा मिला, वही पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा सरकारी वाहन को खडा करवाया जाकर मुकीम हुआ, कुछ समय के बाद वहां पर परिवादी का लडका अशोक मोटरसाईकिल लेकर आया, जिसको परिवादी के साथ उसकी गाडी में बैठाया जाकर उसके मोबाईल फोन नम्बर [redacted] से आरोपी एक्सईएन भवानी सिंह का फोन नम्बर [redacted] को मिलवाकार समय करीब 07.12 पीएम पर अशोक के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता कराई तो आरोपी ने पैसे घर गंगापुर सिटी में मैडम को देकर आने को कहा और व्हाटसएप काल करने की कहकर फोन काट दिया और फिर स्वयं आरोपी ने अपने उपयुक्त मोबाईल नम्बर से परिवादी के लडके अशोक को उसके उपर्युक्त मोबाईल नम्बर पर व्हाटसएप कॉल किया जाकर कहा कि मै कलक्टर की रात्रि चौपाल में ग्राम पटोंदा में बैठा हुआ हूं बार बार उठकर आकर बात करनी पड रही है आपको कह दिया पैसे घर पर देकर आने की तो अशोक ने कहा कि साहब मेरे पापा जी डिप्रेशन में है वह आपसे मिलकर बात करनी चाह रहे है अब नही तो हम सुबह आ जायेंगे तो उसने कहा बात क्या करनी आपसे कह दिया एक बार और फोन काट दिया उपर्युक्त वार्ता को वाईस रिकार्डर में डले मैमोरी कार्ड में रिकार्ड करवाया गया। परिवादी एवं उसके लडके की आरोपी से फोन पर हुई वार्ता अनुसार आरोपी की उपस्थिति घर पर नहीं होकर रात्रि चौपाल में ग्राम पदोंदा में होने तथा उसकी उपस्थिति घर पर होने पर ही परिवादी से उसके कार्य से सम्बन्धित वार्ता होना अति आवश्यत समझते हुये परिवादी व उसके लडके से वार्ता कर उनके कहे अनुसार तथा रात्रि में कार्यवाही को अंजाम देना उचित नहीं समझते हुये दिनांक 23.05.2025 को प्रातः कार्यवाही करना सुनिश्चित कर गवाहान के सामने परिवादी को पूर्व में पाउडर युक्त सुपुर्द शुदा नम्बरी रिश्वत राशि 3 लाख

रूपयों को भगवा रंग के कैरी बैग महित अजय कुमार एएसआई को दिलवाकर उनके पास एक अखबार में सुरक्षित रखवाई गई एवं परिवादी मे वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित प्राप्त कर चालू कर चैक किया तो उसमें परिवादी व उसके लडके अशोक की आरोपी एक्सईएन के मध्य मोबाईल फोन पर हुई वार्ता रिकार्ड मिली, जिससे आरोपी एक्सईएन द्वारा रिश्वत की मांग स्पष्ट है, उक्त वाईस रिकार्डर को भी अजय कुमार एएसआई के पास सुरक्षित रखया गया तथा परिवादी गिर्राज प्रसाद मीणा को उसके लडके द्वारा लाई हुई मोटरसाईकिल से तथा सुमेर सिंह हैड कानि श्री समय सिह हैड कानि एवं श्री श्याम सिंह कानि को भी दिनांक 23.05.2025 को प्रातः 07.00 एएम पर रिद्दी सिद्दी हॉस्पीटल से आगे वाईपास रोड पर उपस्थित मिलने एवं गोपनीयता रखने की हिदायत देकर अपनी अपनी मकूनत के लिये रवाना किया गया और समय करीब 08.00 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के परिवादी की कार से उसके लडके अशोक के बतौर चालक लेकर उक्त प्राईवेट वाहन व सरकारी वाहन से गंगापुर सिटी से रवाना होकर समय करीब 08.30 पीएम पर ब्यूरो ईकाई करौली आया तथा ट्रैप बॉक्स व लैपटॉप प्रिन्टर को एवं वाईस रिकार्डर को एसडी कार्ड डले सहित सुरक्षित कार्यालय आलमारी में रखवाया गया एवं रिश्वती राशि को कैरी बैग महित श्री अजय कुमार एएसआई से कार्यालय की आलमारी के लॉक में सुरक्षित रखवाया गया तथा दोनों गवाहान एवं श्रीमती बबली कुमारी महिला कानि 450 को दिनांक 23.05.2025 को प्रातः 06.00 एएम पर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता की हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय से मसकन के लिये रवाना किया गया तथा परिवादी के लडके अशोक को बाद हिदायत कार्यालय से स्वयं की कार सहित रवाना किया गया तथा शेष ब्यूरो स्टाफ को गोपनीय रखने आदि की हिदायत दी गई। इसके बाद दिनांक 23.05.2025 को समय 06.25 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष पाबन्दशुदा दोनो स्वतन्त्र गवाह एवं श्रीमती बबली कुमारी महिला कानि 450 कार्यालय में उपस्थित आये तत्पश्चात समय 06.30 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने श्री अजय कुमार एएसआई से कार्यालय की आलमारी के लॉक से दिनांक 22.05.2025 को रखी गई रिश्वती राशि 3 लाख रूपये फिनोफ्थैलीन पाउडरयुक्त नम्बरी नोटों को भगवा रंग के कैरी बैग सहित सुरक्षित निकलवाकर सरकारी वाहन के डेस्कबोर्ड में रखवाकर स्टाफ के श्री केशव देव शर्मा कानि 600 व श्री राकेश सिह कानि 268 को सरकारी मोटरसाईकिल से आगे आगे रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाह मय एसीबी स्टाफ सदस्य श्री अजय कुमार एएसआई, श्री विष्णु सिंह कानि 135, व श्रीमती बबली कुमारी महिला कानि 450 के मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर एवं सरकारी वीडियो कैमरा एवं वाईस रिकार्डर को एसडी कार्ड डले सहित साथ लेकर जरिये सरकारी वाहन एसीबी कार्यालय करौली से वास्ते ट्रैप कार्यवाही रवाना होकर समय 07.00 एएम पर गंगापुर सिटी में वाईपास रोड होता हुआ रिद्दी सिद्दी हॉस्पीटल से आगे वाईपास रोड पर पहुंचा जहां पर पूर्व से रवाना शुदा केशव देव व राकेश सिंह कानि सरकारी मोटरसाईकिल सहित एवं पूर्व से पाबन्द शुदा श्री सुमेर सिंह व समय सिंह हैड कानि भी मोटरसाईकिल सहित तथा श्याम सिंह कानि अपनी निजी कार सहित खडा मिला, जहां से मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को उसके लडके सहित अपनी उपस्थिति के बारे में बताते हुये उनको वाईपास रोड पर स्थित होटल राजमहल प्लेस के पास मिलने की कहकर मन पुलिस निरीक्षक गवाहान एवं महिला कानि एवं समस्त जाप्ता को सरकारी व प्राईवेट वाहन एवं सरकारी व प्राईवेट मोटरसाईकिलो सहित लेकर होटल राजमहल प्लेस पहुंच मुकीम हुआ जहां पर समय करीब 08.15 एएम पर परिवादी गिर्राज प्रसाद मीणा अपने लडके अशोक सहित अपनी कार से उपस्थित आया और परिवादी के लडके अशोक ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि कल रात के नौ पौने नौ बजे के आस आरोपी भवानी सिंह मीणा एक्सईएन साहब ने कॉल कर मुझे और मेरे पापाजी को आज सुबह अपने घर गंगापुर सिटी पर पैसे लेकर आने को कहा है, इसी दौरान समय करीब 8.28 एएम पर परिवादी के लडके अशोक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर आरोपी एक्सईएन भवानी सिंह मीणा का फोन नम्बर [redacted] से कॉल आया जिस पर अशोक ने अपने फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ता की तो आरोपी एक्सईएन भवानी सिंह मीणा ने अपना गंगापुर सिटी स्थित अपने घर पर होना बताते हुये परिवादी एवं उसके लडके अशोक को घर पर आने को कहा, तो अशोक ने 10-15 मिनट में आने की कहा उक्त वार्ता को जरिये अजय कुमार एएसआई वॉईस रिकार्डर में डले एसडी कार्ड में रिकार्ड करवाया गया। इसके बाद दोनो गवाहों के सामने सरकारी वाहन के डेस्कबोर्ड में रखी हुई पाउडर युक्त रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500 रूप्ये के नोटो की 06 गड्डी प्रत्येक गड्डी में 100-100 नोट कुल 600 नोट कुल राशि 3 लाख रूपये भगवा रंग के कैरी बैग श्री कैला देवी मंदिर ट्रस्ट भेट प्रसाद लिखी हुआ के अन्दर रखी हुई को बाहर निकलवाकर उक्त राशि को अजय कुमार एएसआई से उपर-नीचे करवाकर वापस उक्त कैरी बैग में रखवाकर परिवादी श्री गिर्राज प्रसाद मीणा की बाद जामा तलाशी सुपुर्द की गई जो परिवादी ने अपनी कार के डैस्क बोर्ड में रखली तत्पश्चात आरोपी एक्सईएन से होने वाली वार्ता को रिकार्ड हेतु विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर, जिसमें दिनांक 23.05.2025 की परिवादी के लडके एवं आरोपी एक्सईएन के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता एवं दिनांक 22.05.2025 को परिवादी एवं उसके लडके अशोक एवं आरोपी एक्सईएन के मध्य मोबाईल पर हुई रिश्वत मांग संबंधी वार्तालाप एसडी कार्ड में रिकार्ड है डले सहित बाद समझाईस परिवादी श्री गिर्राज प्रसाद मीणा को सुपुर्द किया गया, एवं अजय कुमार एएसआई को परिवादीगण के आरोपी के पास जाने से पहले चालू करने की हिदायत दी गई, तत्पश्चात समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथों को साबुन-पानी से धुलवाकर साफ करवाये गये तथा मन पुलिस निरीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबन-पानी

से साफ किये गये तत्पश्चात परिवादी के पास सुपुर्द शुदा विभागीय वाईस रिकार्डर को एसडी कार्ड डले सहित अजय कुमार एएसआई से चालू कराकर अपना परिचय व दिनांक भरकर परिवादी गिर्राज प्रसाद मीणा को चालू कर देने एवं परिवादी द्वारा चालू हालत में प्राप्त करने की आवाज भरकर देकर समय करीब 08.50 एएम पर परिवादी एवं उसके लडके को उनकी आरोपी एक्सईएन से हुई मोबाईल वार्ता अनुसार उनको उनकी कार से आरोपी एक्सईएन के पास उसके रिद्दी सिद्दी हॉस्पीटल गंगापुर सिटी के पीछे स्थित उसके निज आवास के लिये रवाना किया गया तथा उनके पीछे पीछे श्री केशव देव कानि व राकेश सिंह कानि को सरकारी मोटरसाईकिल से एवं श्री सुमेर सिंह हैड कानि उनकी निजी मोटरसाईकिल से तथा श्री श्याम सिंह कानि को उसकी निजी कार से मय कानि विष्णु सिंह एवं समय सिंह हैड कानि के हमराह बाद हिदायत रवाना किया गया और उनके पीछे पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहान एवं श्री अजय कुमार एएसआई, श्रीमती बबली कुमारी महिला कानि को मय ट्रैप बॉक्स,सरकारी लैपटॉप, प्रिन्टर, वीडियो सरकारी कैमरा आदि सामान सहित लेकर जरिये सरकारी वाहन मय चालक बृजेश कुमार के लेकर वास्ते ट्रेप कार्यवाही रवाना होकर समय करीब 09.00 एएम पर गंगापुर सिटी में वाईपास रोड स्थित रिद्दी सिद्दी हॉस्पीटल के आस-पास पहुंचा जहां पर परिवादी व उसका लडका अशोक अपनी कार सहित तथा केशव देव व राकेश सिंह कानि सरकारी मोटरसाईकिल सहित एवं सुमेर सिंह हैड कानि अपनी निजी मोटरसाईकिल सहित तथा श्याम सिंह कानि मय विष्णु सिंह कानि व समय सिंह हैड कानि सहित अपनी कार को लेकर खडे मिले, जहां एक साईड में मन पुलिस निरीक्षक भी जाप्ता व गवाहान को लेकर सरकारी वाहन सहित खडा हो गया, और परिवादी व उसके लडके को ईशारे के जरिये उनकी कार से आरोपी एक्सईएन के निज आवास के लिये रवाना किया जो अपने वाहन को लेकर आरोपी एक्सईएन के निज आवास पर पहुंचकर वाहन को बाहर खडा कर परिवादी अपने लडके अशोक सहित आरोपी एक्सईएन के मकान के अन्दर चले गये तथा मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान एवं समस्त स्टाफ वाहनों सहित आरोपी के मकान के आस पास स्थित दुकान एवं रिद्दी सिद्दी हॉस्पीटल के पास खडे हो गये तथा मन पुलिस निरीक्षक वाहन से उतर कर आरोपी के आवास के पास खडा हो गया, तथा मन पुलिस निरीक्षक एवं समस्त ट्रेप पार्टी परिवादीगण के अगले ईषारे का इन्जतार करने लगी। इसके बाद समय करीब 09.50 एएम पर दोनो गवाहान के सामने परिवादी गिर्राज प्रसाद मीणा ने संदिग्ध आरोपी के मकान के मैन गेट के बाहर आकर खडे-खडे पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर दो बार हाथ फेर कर किया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रैप पार्टी सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी के पास उक्त मकान के गेट पर पहुचां जहां पर परिवादी व उसका लडका अशोक मौजूद मिले जहां पर परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्री भवानी सिंह मीणा एक्सईएन साहब द्वारा अपने उक्त मकान के अन्दर प्रथम मंजिल में गेस्ट रुम के अन्दर मुझे व मेरे लडके अशोक को बिठाकर रिश्वत में 3 लाख रुपये मांग कर लेकर कैरी बैग सहित रख लिये है। एक्सईएन साहब मकान के अन्दर ही है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहन व स्टाफ सदस्यों को हमराह परिवादी व उसके लडके को साथ लेकर उक्त मकान के खुले हुये मैंन गेट के अन्दर प्रवेश कर सिढियो से होता हुआ कार्यवाही की सरकारी विडियों कैमरा व मोबाईल फोन से श्री केशव देव कानि 600 को विडियोग्राफी करने की हिदायत देते हुये प्रथम मंजिल पर पहुंचा, जहां पर प्रथम मंजिल के पोर्च से सीढियो की तरफ बने गेट से होकर एक हाफ बाजू की सफेद शर्ट एवं पेन्ट पहना हुआ व्यक्ति बाहर आया जिसे देखकर परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि ये ही भवानी सिंह मीणा एक्सईएन साहब है, जिस पर मन मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम भवानी सिंह मीणा पुत्र स्व श्री हरीमन मीणा जाति मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी पीलोदा पुलिस थाना पीलोदा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर हाल आवाद मकान प्रभूजी नगर गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर हाल अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग हिण्डौन सिटी जिला करौली बताया, जिसको हमराह साथ लेकर गवाहान, परिवादी एवं जाप्ता सहित उक्त मकान की प्रथम मंजिल के अन्दर डाईनिंग हॉल/बरामदा में पहुंचा जहां पर आरोपी भवानी सिंह मीणा को बिछे हुये सोफे के उपर बैठाया गया, जहां पर उपस्थित महिला को आरोपी भवानी सिंह मीणा ने स्वयं की पत्नी श्रीमती वर्षा मीणा होना तथा सा.निर्माण विभाग करौली में सहायक अभियन्ता के पद पर तैनात होना बताया, जिनको सहसम्मान हमराह साथ आई हुई महिला कानि. श्रीमती बबली कुमारी नम्बर 450 की निगरानी में अलग कमरे में बैठाया गया, और परिवादी से वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात आरोपी भवानी सिंह मीणा अधिशाषी अभियन्ता से परिवादी श्री गिर्राज प्रसाद मीणा से उसकी फर्म संतोश कन्ट्रक्शन कम्पनी गंगापुर सिटी द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग हिण्डौन सिटी में कराये गये पेच रिपेयरिंग कार्यो की राशि 43.19 में से 10 लाख का ही बिल बनाकर 8.35 लाख रूपये की राशि का भुगतान करने एवं शेष राशि का भी स्वयं द्वारा बिल बनवाकर भुगतान कराने की कहकर की गई भुगतान राशि का बतौर कमीशन 3 लाख रूपये बतौर रिश्वत मांग कर परिवादी को उसके लडके अशोक सहित दिनांक 23.05.2025 को अपने उक्त आवास पर बुलाकर प्राप्त की गई 3 लाख रूपये की रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो आरोपी भवानी सिंह मीणा अधिशाषी अभियन्ता ने बताया कि मैने इस गिर्राज प्रसाद मीणा से इसकी फर्म मैसर्स संतोष कन्ट्रक्शन कम्पनी गंगापुर सिटी द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग हिण्डौन सिटी प्रथम व द्वितीय में वित्तीय वर्ष 2024-2025 में कराये गये पेच रिपेयरिंग कार्यो की राशि 10 लाख रूपये का बिल बनाकर 8.35 लाख रू. के भुगतान को करने में मैने इससे कोई रिश्वत में 3 लाख रूपये की मांग नहीं की गई है और ना ही रिश्वत के

रूप में उक्त राशि ली गई है। संवेदक इस गिर्राज प्रसाद मीणा द्वारा किये गये कार्य के कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा जो बिल बनाकर खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत किये गये है उन सभी बिलो का भुगतान संवेदक इस गिर्राज प्रसाद मीणा को कर दिया गया है, वर्तमान में इन गिर्राज प्रसाद मीणा का कोई भी भुगतान बकाया नहीं है, वर्ष 2016 में मै सहायक अभियन्ता सा. निर्माण विभाग उपखण्ड हिण्डौन में कार्यरत था तब इन्होने मेरा ट्रान्सफर हिण्डौन से उपखण्ड कुडगांव करवाने के लिये 3 लाख रूपये मुझसे नगद लिये थे परन्तु मेरा ट्रान्सफर कुडगांव नहीं हुआ उसके बाद मे बार बार मेरे पैसे वापस करने के लिये इनसे मांगने लगा, तथा मै इनके घर नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कुछ लोगो को साथ लेकर पैसे मांगने गया जिसमें इन्होने कुछ दिन में पैसा वापस करने को कहा तब से लगातार मै मेरे उधारी के 3 लाख रूपये मांग रहा हूं परन्तु यह कुछ दिन में दे दूंगा बोलकर टाल रहे है, साल भर से मैने मेरे उधारी के पैसे लेने के लिये इनके उपर दबाब बनाया तो इसने कहा कि मेरा कहीं से भी बिलों का भुगतान होने के बाद आपका उधारी का पैसा लोटा दूंगा मै पांच-छ दिन मे बार बार मेरा उधार दिया हुआ 3 लाख रूपया मांग रहा था, जिस पर इन्होने दिनांक 23.0.5.2025 को अपने लडके अशोक के साथ मेरे पास मेरे घर आकर कुछ कम पैसे देने को कहा तो मेने इनसे कहा कि लगभग 10 साल हो गये पैसे दिये हुये को जिसके बारे में समस्त घर वालों को पता है, सुबह ये दोनो 3 लाख रूपये लेकर उधारी के मुझे देकर गये है, मैने इनको बिल को पास करने के बदले में कोई भी रिश्वत कमीशन के रूप में नही मांगी। इनके द्वारा किये गये समस्त कार्य का 31.03.2025 को ही भुगतान करने के लिये बिल ट्रेजरी भेज दिया था आरोपी को उधारी के पैसे परिवादी को दिये जाने के संबंध में कोई लिखा पढी संबंधी कागजात पेश करने को कहा तो आरोपी भवानी सिंह ने कहा कि मैरे पास कोई कागजात नहीं है, तथा कहा कि मैंने इस गिर्राज प्रसाद मीणा से ना तो कोई रिश्वत मांगी और ना ही ली है इसने मुझे जबदस्ती पैसे देकर गलत फंसाया है। इसके बाद उपस्थित परिवादी गिर्राज प्रसाद मीणा से आरोपी भवानी सिंह मीणा अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अपने बचाव में बताये गये कथनों के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो परिवादी ने भवानी सिंह मीणा अधिशाषी अभियन्ता के कथनों का झूंठा होना बताते हुये बताया कि मैने इन एक्सईएन साहब भवानी सिंह से इनका हिण्डौन से उपखण्ड कुडगांव ट्रान्सफर करवाने के लिये वर्ष 2016 में कोई 3 लाख रूपये उधार नहीं लिये है और आज 3 लाख रू. इनको उधारी के नहीं बल्कि इनकी मांग अनुसार कमीशन के रूप में बतौर रिश्वत दिये गये है तथा बताया कि मेरी सार्वजनिक निर्माण विभाग में संतोष कन्ट्रक्शन कम्पनी गंगापुर सिटी के नाम से रजिस्टर्ड फर्म है। जिसका मैं प्रोपराईटर एवं सी ग्रेड का रजिस्टर्ड ठेकेदार हूं। मेरी फर्म द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग हिण्डौन सिटी में वित्तीय वर्ष 2024-25 में हिण्डौन सिटी प्रथम व द्वितीय में रोड मेन्टीनेन्स (पेच रिपेयरिंग) का कार्य तीन टेंडर प्राप्त कर राशि क्रमश टेंडर एमाउंट जिसमें एक वर्क आर्डर 25 लाख रुपये का और दूसरा 14 लाख रुपये का तथा तीसरा 4 लाख 19 हजार रुपये कुल 43.19 लाख का कार्य एईएन व जेईएन की निगरानी में कराये गये थे जिसमें से 10 लाख रुपये का पीडब्ल्यूडी द्वारा बिल बनाया जाकर 8 लाख 35 हजार रुपये का भुगतान इनके द्वारा मुझे जरिये एकाउंट किया गया और इस किये गये भुगतान को करने एवं शेष राशि के बिल बनवाकर उनका भी स्वयं द्वारा भुगतान कराने की कहकर कमीशन के 3 लाख रुपये देने का दबाब बनाकर परेशान किया जा रहा था और पैसे लेकर बार बार कॉल कर अपने घर बुलाया जा रहा था, मै इनको जायज काम के बदले में रिश्वत नहीं देना चाहता था तो मैने आपके विभाग के टोल फ्री नम्बर 1064 पर शिकायत कर दी जहां से आपका मोबाईल नम्बर देने पर मैने आपसे सम्पर्क किया और दिनांक 22.05.2025 को आपके कार्यालय करौली में आपके पास जाकर इन एक्सईएन साहब भवानी सिंह मीणा को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड वाने के लिये लिखित शिकायत दी थी, इन्होने दिनांक 22.05.2025 को फोन पर बात कर पैसे 3 लाख रूपये अपना कलक्टर साहब की रात्रि चौपाल ग्राम पटोंदा में होना बताते हुये घर पर पैसे देने की कहा और मेरे एवं मेरे लडके अशोक के निवेदन करने पर दिनांक 23.05.2025 की सुबह पैसे लेकर अपने आवास प्रभू जी नगर गंगापुर सिटी में आने को कहा और उसके अनुसार ही आज इनके द्वारा मेरे लडके अषोक को फोन कर पैसे लेकर आने को कहा जिस पर मै और मेरा लडका दोनो इनके पास इनके घर पर आये तो इन्होने हम दोनो को अपने घर पर प्रथम मंजिल पर गैस्ट रूम में बैठाकर हमसे बातचीत की और फिर मांग कर मुझसे 3 लाख रूपये अपने हाथों मे लेकर कैरी बैग सहित टेबिल के उपर रख लिये और हमसे बातचीत करने लग गये, बातचीत करने के बाद मै और मेरा लडका अशोक इनके मकान से बाहर चले गये और मैने इनके मकान के मैन गेट से आपको बताया हुआ ईशारा कर दिया, परिवादी के उक्त कथनों की परिवादी के लडके अशोक ने पूछताछ पर ताईद की इसके बाद परिवादी द्वारा बताये गये कथनों के सम्बन्ध में एक बार पुनः भवानी सिंह मीणा से पूछा गया तो उसने अपने पूर्व के कथनों के अलावा अन्य कोई नई बात नहीं बताई सिर्फ बताया कि उसको परिवादी द्वारा मेरी उधारी के पैसे मुझे रिश्वत में देकर गलत फंसाया गया है। इसका मेरे पास कोई काम पैण्डिग नहीं है। इसके बाद आरोपी भवानी सिंह मीणा अधिशाषी अभियन्ता को परिवादी गिर्राज प्रसाद मीणा से बतौर कमीशन प्राप्त की गई 3 लाख रूपये की रिश्वत राशि को पेश करने के लिए कहा तो कुछ नहीं बोला पुनः बार-बार कहने के बाबजूद भी राशि बाबत कोई जबाब नहीं दिया और कुछ पल बाद सोच बिचार कर बताया कि इस गिर्राज प्रसाद मीणा द्वारा दिये गये 3 लाख रूपये मैने मकान के अन्दर बैडरूम में डबल बैड पर चादर के उपर रख दिये है जिन्हें चलकर बता देता हूं। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक आरोपी भवानी सिंह मीणा को मय गवाहान, परिवादी एवं जाप्ता के हमराह लेकर बैडरूम के अन्दर पहुंचा तो बैडरूम में बिछे डबलबैड के उपर बिछी रंग बिरंगी चादर के उपर 500-500

रूपये के नोटो की गड्डिया रखी दिखाई दी जिनको गवाह श्री ओमप्रकाश जाटव कनिष्ठ सहायक से उठवाया जाकर चैक करवाया गया तो 500-500 रूपये के नोटो की 6 गड्डियां मिली जिनको दोनो गवाहान से चैक करवाया एवं गिनवाया गया तो प्रत्येक गड्डी में 500-500 रूपये के 100-100 नोट कुल 600 नोट कुल राशि 3 लाख रूपये मिले उक्त नोटो के नम्बरों का मिलान गवाहान से कार्यालय में बनाई हुई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों से करवाया गया तो वही हूबहू नम्बरी नोट मिले जिन्हें गड्डियों सहित गवाह श्री ओमप्रकाश जाटव कनिष्ठ सहायक के पास सुरक्षित रखवाया गया तथा रंग बिरंगी चादर के उस स्थान को जहां से रिश्वत राशि मिली को मार्कर पैन से गोलाकार गवाह से करवाया गया। तत्पश्चात आरोपी भवानी सिंह मीणा को रिश्वत राशि रखी हुई कैरी बैग बरंग भगवा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके द्वारा रूपये निकालकर उस कैरी बैग को मकान के बाहर पोर्च में फैंक दिया है, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी भवानी सिंह मीणा एवं गवाहान व परिवादी को हमराह लेकर मकान की प्रथम मंजिल के बाहर पोर्च में पहुंचा जहां पर भगवा रंग का कैरी बैग श्री कैला देवी मंदिर ट्रस्ट भेट प्रमाद लिखा हुआ जिसके अन्दर रखवाकर राशि परिवादी को सुपुर्द की गई थी फर्स पर पडा मिला उक्त कैरी बैग को गवाह श्री ओमप्रकाश जाटव कनिष्ठ सहायक से उठवाकर उसी के पास सुरक्षित रखवाया गया, तत्पश्चात श्री सुमेर सिंह हैड कानि नम्बर 70 से सरकारी वाहन में से ट्रेप बौक्स मंगवाया गया और स्वतंत्र गवाह श्री विनोद कुमार कश्यप कनिष्ठ सहायक के दोनो हाथ उक्त डाईनिंग हॉल में लगे वाशवेशन में साबुन व साफ पानी से साफ कराकर ट्रेप बौक्स में से दो प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास निकलवाकर उनमें स्वतंत्र गवाह विनोद कुमार कश्यप से डाईनिंग हॉल में रखी पानी से भरी मटकी में से साफ पानी भरवाकर तथा उक्त गवाह से ही ट्रेप बौक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उसमें से थोडा- थोडा सोडियम कार्बोनेट पाउडर दोनो पारदर्शी गिलासों के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया तो दोनो पारदर्शी प्लास्टिक गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थितगणों को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग साफ सफेद होना स्वीकार किया। इसके बाद एक पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी भवानी सिंह मीणा अधिशाषी अभियन्ता के दाहिने हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशियों मे आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क- RH 1 RH 2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उसके बाद दूसरे पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी भवानी सिंह मीणा अधिशाषी अभियन्ता के बांये हाथ की अंगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशीयों मे आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क LH1 LH 2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा काम में लिये गये दोनो पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात गवाह श्री ओमप्रकाश जाटव कनिष्ठ सहायक के पास पूर्व में आरोपी के मकान के अन्दर बैडरूम में बिछे डबल बैड के उपर बिछी रंग बिरंगी चादर के उपर से बरामद शुदा रिश्वत राशि 500-500 रूपये की 06 गड्डिया प्रत्येक गडडी में 100-100 नोट कुल 600 नोट कुल राशि 3 लाख रुपयों को पुनः गवाहन से चेक करवाया जाकर एवं नोटो के नम्बरों का मिलान कराकर बरामद शुदा नम्बरी 3 लाख रुपये के 500-500 रू. के नोटो की 06 गड्डियों प्रत्येक गड्डी में 100-100 नोट कुल 600 नोटों को पीले कागज के लिफाफे में रखवाकर विवरण अंकित कर लिफाफे को चिपका कर लिफाफे पर दोनों गवाहान, परिवादीगण व आरोपी के हस्ताक्षर कराकर उक्त लिफाफे को राशि सहित एक सफेद कपडे की थैली रखवाकर विवरण थैली पर अंकित कर थैली को सिलवाकर सील्ड मौहर गवाहान, परिवादीगण व आरोपी के हस्ताक्षर कराकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात गवाह श्री ओमप्रकाश जाटव कनिष्ठ सहायक के पास पूर्व में आरोपी के मकान की प्रथम मंजिल के बाहर पोर्च में पडा मिला भगवा रंग का कैरी बैग श्री कैला देवी मंदिर ट्रस्ट भेट प्रसाद लिखा हुआ जिसके अन्दर पाउडर युक्त राशि रखवाकर परिवादी को सुपुर्द की गई थी, को वास्ते बजह सबूत सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर उसे एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सील्ड मौहर कर मार्क-K अंकित कराकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद गवाह श्री विनोद कुमार कश्यप कनिष्ठ सहायक के दोनो हाथ वाशवेशन में साबुन व साफ पानी से साफ कराकर उक्त गवाह से पूर्व की भांति एक अन्य पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर साफ पानी से साफ करवाया जाकर उसमें मटकी में से साफ पानी भरवाकर उसमें गवाह श्री विनोद कुमार कश्यप से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सम्बन्धितों ने देखकर घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में बैडरूम में बिछे डबल बैड के उपर बिछी रंग बिरंगी चादर को गवाह विनोद कुमार कश्यप से उतरवाकर उक्त चादर के उस गोलाकार स्थान को जहां से रिश्वत राशि रखी होकर बरामद हुई को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा डलवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क C 1 व C 2 अंकित कर चिट व कपडे पर गवाहान परिवादीगण व आरोपी के

हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा काम में लिये गये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात उक्त रंग बिरंगी चादर को सुखवाकर उक्त चादर के धुलाई किये हुये स्थान पर गवाहान परिवादीगण व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर रंग बिरंगी चादर को सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर कपडे की थैली पर मार्क C अंकित कर थैली के उपर गवाहान परिवादीगण व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से प्राप्त कार्यालय के वाईस रिकॉडर एसडी कार्ड डले सहित को दोनों गवाहान व परिवादी व उसके लडके अशोक की मौजूदगी में चालू कर सुना गया तो वाईस रिकॉडर में रिश्वत लेन-देन की वार्ता रिकार्ड होना पाई, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट एवं पैनड्राईव पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपी भवानी सिंह मीणा अधिशाषी अभियन्ता को परिवादी गिर्राज प्रसाद मीणा की फर्म संतोष कन्टक्शन कम्पनी गंगापुर सिटी के पेच रिपेयरिंग वर्क से सम्बन्धित टैण्डर पत्रावली एवं पैन्डिग/भुगतान संबंधी बिल आदि दस्तावेज के बारे में पूछा तो कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग हिण्डौन सिटी में होना बताया। जो प्रथक से बरामद कर जप्त की जावेगी। इसके बाद परिवादी व उसके लडके अशोक एवं आरोपी श्री भवानी सिंह मीणा अधिशाषी अभियन्ता से पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया नही है, तो परिवादी एवं उसके लडके ने मना कर दिया एवं आरोपी भवानी सिंह ने अपने पूर्व के कथन अनुसार परिवादी पर पूर्व का 3 लाख रूपये का उधारी का लेन-देन होना जो आज देना बताया, जिसके बारे में परिवादीगण ने पूछने पर आरोपी के कथनों को उसके सामने ही झूठा बताया,। वक्त कार्यवाही बरामदगी व हाथ आदि धुलाई की केशव देव कानि से उसके मोबाईल फोन एवं विभागीय बीडीयो कैमरा से कराई गई बीडीयोग्राफी की पृथक से पैनड्राईव तैयार करवाई जाकर फर्द मुर्तिव की जावेगी। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिव कर नमूना सील फर्द पर अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गयें। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान के सामने व परिवादीगण की निशादेही पर घटनास्थल का नक्षा मौका एवं हालात मौका पूर्ण एवं पर्याप्त रोशनी में तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये तथा आरोपी भवानी सिंह मीणा अधिशाषी अभियन्ता का सेवा विवरण उपलब्ध बाबत एसई सा. नि. विभाग करौली को पृथक से पत्र जारी कर प्रस्तुत किया गया, इसके बाद आरोपी भवानी सिंह मीणा का मोबाईल आईफोन 16 प्रोमेक्स, बंरग क्रीम कलर, पीछे की तरफ एप्पल का लॉगो बना हुआ तथा सिम नम्बर [redacted] डली हुई जो आरोपी द्वारा परिवादीगण से दिनांक 22.05.2025 व दिनांक 23.05.2025 को हुई वार्ता के समय उपयोग लिया गया को बजह सबूत होने पर वास्ते जांच कपडे की थैली में रखवाकर मार्क M दिया जाकर अनशील्ड जरिये फर्द जप्ती जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा थैली पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये गये इसके बाद आरोपी के मकान के प्रथम मंजिल पोर्सन की नियमानुसार जरिये फर्द खाना तलाशी ली गई, जिसकी फर्द पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये इसके बाद समय 07.00 पीएम पर आरोपी भवानी सिंह मीणा अधिशाषी अभियन्ता को जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) में बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार हस्ब कायदा गिरफ्तार किया जाकर फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये, गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की स्वयं की इच्छा अनुसार उसकी पत्नी एवं उसके भाई मुकेशचन्द को दी गई। इसके बाद समय 07.45 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादीगण एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री भवानी सिंह मीणा अधिशाषी अभियन्ता को व जप्त शुदा समस्त बजह सबूत को साथ लेकर मय ट्रेप बौक्स, लेपटोप प्रिंटर, सरकारी बीडियो कैमरा, विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्ड एसडी कार्ड डले सहित आदि के जरिये सरकारी निजी वाहनों एवं सरकारी व प्राईवेट मोटरसाईकिलों के घटना स्थल आरोपी के आवास प्रभूजी नगर गंगापुर सिटी से रवाना होकर समय करीब 09.00 पीएम पर एसीबी कार्यालय करौली पहुंचा, जहां पर बजह सबूत समस्त आर्टिकल मय रिश्वत राशि धोवन की सील्ड शीशीयों चादर पैकिट खाना तलाशी वीडीयो रिकॉडिंग के संग्रहित सील्ड पैनड्राईवों को जमा मालखाना जरिये मुख्य आरक्षक सुमेर सिंह करवाया गया तथा गिरफतार शुदा आरोपी श्री भवानी सिंह मीणा अधिशाषी अभियन्ता को जाप्ता की निगरानी में कार्यालय में सुरिक्षत रखा गया, गंगापुर सिटी से रवाना होने के बाद परिवादी गिर्राज प्रसाद मीणा के पेच रिपेयरिंग कार्य से सम्बन्धित पत्रावली एवं भुगतान के बिल बाउचर आदि रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियां उपलध बाबत अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.विभाग करौली को जरिये दूरभाष निवेदन किया गया तथा सा. नि. विभाग हिण्डौन सिटी के सम्बन्धित लिपिक श्री अजीत से वार्ता की तथा उसके कहे अनुसार श्रीमती सुमन मीना टीए सा. निर्माण विभाग हिण्डौन सिटी से वार्ता की तो उनके द्वारा रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियां दिनांक 24.05.2025 को उपलब्ध कराने हेतु कहा गया। कार्यालय में एसई सा.नि.विभाग करौली से प्राप्त शुदा सेवा विवरण को अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मे डले एसडी कार्ड जिसमें दिनांक 22.05.2025 की परिवादी एवं उसके लडके व आरोपी भवानी सिंह मीणा अधिशाषी अभियन्ता के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता एवं दिनांक 23.05.2025 को मोबाईल व रूबरू हुई रिश्वत मांग व लेन-देन की वार्ता रिकार्ड है, को स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादीगण की मौजुदगी में लेपटॉप से चलाकर कर उसमें रिकार्ड मोबाईज वार्ता को टेबल स्पीकर से सुना एवं गवाहान व परिवादीगण को सुनाया जाकर दिनांक 22.05.2025 की रिकार्ड वार्तालाप की परिवादीगण से आवाज की पहचान कराकर फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण श्री केशवदेव कानि. नम्बर 600 से तैयार करवाया गया तथा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री केशव देव शर्मा कानि 600 से दिनांक 22.05.2025 की उक्त रिकार्ड

वार्ता की लेपटॉप की सहायता से तीन नये खाली पैनड्राईवों सैंडिस्क 32 जीबी न्यायालय प्रति मार्क ए-1 एवं मुलजिम प्रति मार्क ए-2 एवं आई.ओ. प्रति मार्क ए-3 में संग्रहित करवाई जाकर रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त पैनड्राईवों को अलग अलग कवरों में रखवाकर उनके उपर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर अलग अलग कपड़े की थैलियों में रखा जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति पैनड्राईव मार्क ए-3 के अलावा पैनड्राईव न्यायालय प्रति मार्क ए-1 एवं पैनड्राईव मुलजिम प्रति मार्क ए-2 को अलग अलग कपडे की थैलियों में शील्ड मोहर किया गया एवं आई.ओ. प्रति पैन्ड्राईव मार्क बी-3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। मंग्रहित पैनड्राईवों की हैज वैल्यू निकाली जाकर प्रिन्ट आउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया, तत्पश्चात गिरफ्तार आरोपी भवानी सिंह मीणा को खाना खिलाकर बाद स्वास्थ्य परीक्षण सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना सदर करौली जरिये जाप्ता भिजवाया जाकर बन्द हवालात करवाया गया और उसके बाद विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में डले एसडी कार्ड जिसमें दिनांक 23.05.2025 की परिवादी एवं उसके लडके व आरोपी भवानी सिंह मीणा अधिशाषी अभियन्ता के मध्य मोबाईल पर व रूबरू हुई रिश्वत मांग व लेन-देन की रिकार्ड वार्ता को स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादीगण की मौजुदगी में लेपटॉप से चलाकर कर उसमें रिकार्ड वार्ता को टेबल स्पीकर से सुना एवं गवाहान व परिवादीगण को सुनाया जाकर वार्तालाप की परिवादीगण से आवाज की पहचान कराकर फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण श्री केशवदेव कानि नम्बर 600 से तैयार करवाया गया तथा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री केशव देव शर्मा कानि. 600 से दिनांक 23.05.2025 की उक्त रिकार्ड वार्ता की लेपटॉप की सहायता से तीन नये खाली पैनड्राईवों सैंडिस्क 32 जीबी न्यायालय प्रति मार्क बी-1 एवं मुलजिम प्रति मार्क बी-2 एवं आई. ओ. प्रति मार्क बी-3 में संग्रहित करवाई जाकर रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त पैनड्राईवो को अलग अलग कवरों में रखवाकर उनके उपर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर अलग अलग कपड़े की थैलियों में रखा जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति पैनड्राईव मार्क बी-3 के अलावा पैनड्राईव न्यायालय प्रति मार्क बी-1 एवं पैनड्राईव मुलजिम प्रति मार्क बी-2 को अलग अलग कपडे की थैलियों में शील्ड मोहर किया गया तथा दिनांक 22.05.2025 व 23.05.2025 की रिकार्ड वार्ताओं का मूल एसडी कार्ड सेंडिस्क 32 जीबी को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर से बाहर निकालकर मार्क एबी अंकित कर कवर में सुरक्षित रखकर कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्का अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया। आई.ओ. प्रति पैन्ड्राईव मार्क बी-3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड एवं संग्रहित पैनड्राईवों की हैज वैल्यू निकाली जाकर प्रिन्ट आउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया तत्पश्चात गवाहान एवं परिवादीगण के सामने दौराने ट्रेप कार्यवाही जरिये केशवदेव कानि. सरकारी बीडियो कैमरा व निजी माबाईल में करवाई गई कार्यवाही सबंधी बीडीयोग्राफी को तीन नये खाली पैनड्राईवों में जरिये कानि केशव देव शर्मा संग्रहित करवाई जाकर मार्क डी-1 व डी-2 एवं डी-3 अंकित करवाकर पैनड्राईव मार्क-डी-1 व डी-2 को कबरों में अलग अलग रखकर उन्हें कपडे की थैलियो में अलग अलग सील्ड मौहर कर थैलियों के उपर भी मार्का अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक पैनड्राईव मार्क-डी-3 को कवर में रख कपडे की थैली में रखवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर थैली पर मार्क अंकित कर वास्ते अनुसंधान खुला रखा गया। उक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये, तथा जाप्ता को पुलिस थाना सदर करौली भेजकर गिरफतार शुदा अभियुक्त को हवालात से प्राप्त कर कार्यालय में बुलाया जाकर मुलाजमानों की निगरानी में चाय नास्ता कराकर सुरक्षित रखा गया, तत्पश्चात वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की नमूना सील नम्बर-33 को पत्थर से तुडवा कर जरिये फर्द नष्ट किया गया एवं नष्ट शुदा नमूनाशील को एक कपड़े की थैली में रख सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क-एनएस 33 अंकित कर कार्यालय की बिना नम्बरी सील से शील्ड मोहर किया गया जिसकी फर्द नष्ट नमूना मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद बजह सबूत रिकार्ड वार्ताओं के सील्ड पैनड्राईव मार्क-ए-1, ए-2, बी-1, बी-2 एवं मूल एसडी कार्ड मार्क एबी, एवं बीडीयोग्राफी के सील्ड पैनड्राईव मार्क डी-1 व डी-2 को एचएम मालखाना श्री सुमेर सिंह हैड कानि 70 को सुरक्षित हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना कराया गया तथा तथा अभियुक्त श्री भवानी सिंह मीणा अधिशाषी अभियन्ता से परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि एवं परिवादी के कार्य के बारे में पूछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट मुर्तिव किया गया एवं परिवादी के पेच रिपेयरिंग के कार्य से सम्बन्धित रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध बाबत अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत करौली को पत्र जारी किया गया एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा.नि.वि. भरतपुर से जरिये दूरभाष वांछित रिकॉर्ड उपलब्ध बाबत वार्ता की गई जिन्होने शीघ्र रिकॉर्ड उपलब्ध कराने हेतु कहा गया एवं श्री श्याम सिंह कानि 599 को वांछित रिकार्ड सानिविभाग हिण्डौन सिटी से लेकर आने हेतु जरिये दूरभाष पांबद किया गया जिसके द्वारा सुमन मीणा टीएटू एक्सईएन सानिविभाग हिण्डौन सिटी के पत्रांक 660-61 दिनांक 24.05.2025 से परिवादी गिर्राज प्रसाद मीणा के फर्म मैसर्स संन्तोष कन्सटक्शन कम्पनी गंगापुर सिटी के पेच वर्क सम्बन्धित रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां लाकर पेश की जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया तथा दोनो गवाहों एवं परिवादी व उसके लडके अशोक को बाद हिदायत कार्यालय से रूखसत किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय विषेष न्यायाधीष विशिष्ठ न्यायालय भ्र. नि. अधि. भरतपुर में वास्ते जेसी पेश किया जावेगा, अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपी भवानी सिंह मीणा अधिषाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग हिण्डोन सिटी जिला करौली

द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा अपने पदीय कर्तव्य को करने में भ्रष्ट तरीका अपनाकर परिवादी गिर्राज प्रसाद मीणा पुत्र श्री लडडूलाल मीणा जाति मीणा उम्र 55 साल निवासी वार्ड नम्बर 9, नसियां कोलोनी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर, प्रोपराईटर फर्म संतोष कन्सट्रक्शन कम्पनी गंगापुर सिटी से उसकी फर्म मैसर्स संतोष कन्सट्रक्शन कम्पनी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक निर्माण विभाग हिण्डौन सिटी प्रथम व द्वितीय में टेंडर प्राप्त कर 43.19 लाख रुपये के कराये गये रोड मेन्टीनेन्स (पेच रिपेयरिंग) के कार्यो में से 10 लाख रुपये का बिल बनाकर 8.35 लाख का भुगतान करने एवं शेष राशि का भी स्वंय द्वारा बिल बनवाकर भुगतान कराने की कहकर भुगतान की गई राशि का बतौर कमीशन 3 लाख रुपये बतौर रिश्वत प्रतिफल मांग कर 3 लाख रूपये दिनांक 23.05.2025 को परिवादी को उसके लडके सहित अपने निज आवास प्रभूजी नगर गंगापुर सिटी पर बुलाकर परिवादी से प्राप्त करना एवं प्राप्त की गई 3 लाख रुपये की राशि उसके कब्जे से मकान के अन्दर बैडरुम में बिछे डबल बैड के उपर बिछी रंग बिरंगी चादर पर रखी हुई होकर बरामद होने तथा परिवादी के कार्य से सम्बन्धित रिकार्ड कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. विभाग हिण्डौन सिटी से प्राप्त होना पाया गया है। अतः श्री भवानी सिंह मीणा पुत्र स्व. श्री हरीमन मीणा जाति मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी पीलोदा पुलिस थाना पीलोदा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर हाल आवाद मकान प्रभूजी नगर गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर हाल अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग हिण्डोन सिटी जिला करौली का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7,11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है। जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली.....................कार्यवाही पुलिस................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जगदीश भारद्वाज पुलिस, निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री भवानी सिंह मीणा पुत्र स्व. श्री हरीमन मीणा जाति मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी पीलोदा पुलिस थाना पीलोदा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर हाल आवाद मकान प्रभूजी नगर गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर हाल अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग हिण्डोन सिटी जिला करौली के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ज्ञान सिंह चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 447 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 739-42 दिनांक 24.05.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर, 2. एसीएस, सा.नि.वि. राजस्थान सरकार, जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** GYAN SINGH CHOUDHARY **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 24/05/2025 21:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताऐं, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	04/07/1985				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताऐं)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)